शिक्षक शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा रेग्यूलेशन, 2014 के आधार पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। जिसमें भावी शिक्षकों या विद्यार्थी-शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न उपागमों एवं विधियों तथा सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उपयोग या प्रयोग करने में निपुण बनाने अर्थात् रिफ़्लेक्टीव शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों को भी सतत एवं समग्र मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation — C.C.E.) करना होगा। तभी हम विद्यार्थी-शिक्षकों को भी मूल्यांकन की इस प्रक्रिया के बारे में सिखा सकेंगे। क्योंकि शिक्षक शिक्षा की भूमिका विद्यालयी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे—शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, पढ़ाने की विधियाँ, मूल्यांकन के तरीके एवं विद्यालयी शिक्षा की सामग्री आदि। आर.टी.ई. एक्ट— 2009 की धारा 29 की उपधारा 8 में भी बालक के समझने की क्षमता तथा उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का समग्र एवं सतत मूल्यांकन करने की बात कही गई है। ऐसे में, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों में उच्च स्तर के चिंतन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना ज़रूरी है। यह मूल्यांकन कई कारणों से किया जाता है। जिनमें पहला, यह जानना है कि क्या विद्यार्थी-शिक्षक जो सीखना चाहते हैं, वे सीख पा रहे हैं या नहीं? दूसरा, यह जानना कि किसी निश्चित अवधि में विद्यार्थी-शिक्षकों ने कितना सीखा? तथा तीसरा, यह पता करना कि विद्यार्थी-शिक्षकों ने विभिन्न विषयों में क्या उपलिब्ध प्राप्त की? प्रस्तुत लेख में शिक्षक शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर शिक्षक बनाने के लिए चिंतन लगभग छह दशक पूर्व प्रारंभ हो गया था। कोठारी आयोग (1964–66) ने शिक्षक की शिक्षा को शैक्षणिक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने पर ज़ोर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग (1983–85) ने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों से अच्छे शिक्षक बनाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विद्यार्थी-शिक्षकों में बुनियादी कौशलों एवं दक्षताओं को अर्जित करने की योग्यता विकसित करने पर सुझाव दिया था। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 पर पुनर्विचार समिति, 1990 ने सुझाव दिया था कि शिक्षकों में शिक्षा के क्रियात्मक कौशलों एवं ज्ञानात्मक तथा

* *सहायक प्राध्यापक*, अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110 016

भावात्मक पक्ष के सभी पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए।

साथ ही, उनमें विविधतापूर्ण भारतीय समाज में शिक्षा की भूमिका की समझ तथा इस भूमिका का अर्थ प्रदान करने की योग्यता विकसित होनी चाहिए। यशपाल समिति (1993) ने भी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी-शिक्षकों में स्व-अधिगम और स्वतंत्र चिंतन के विकास को शामिल करने पर ज़ोर दिया था। इसके पश्चात् शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं—1998 एवं 2009 तथा विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2005 में भी पेशेवर एवं मानवीय शिक्षक बनाने पर ज़ोर दिया गया। शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रत्येक बालक तक शिक्षा की पहुँच के उद्देश्य से आर.टी.ई. एक्ट—2009 में भी रिफ़्लेक्टीव शिक्षण या शिक्षक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। आर.टी.ई. एक्ट की धारा 29 में रिफ़्लेक्टीव शिक्षक से पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित अपेक्षाएँ की गई हैं कि वह —

1. संविधान में प्रतिष्ठापित (Enshrined) मूल्यों का पालन करते हुए शिक्षा प्रदान करे;
2. बालक का सर्वांगीण विकास करे;
3. बालक में ज्ञान, अंत:शक्ति (Potentiality) एवं योग्यता (Talent) का निर्माण करे;
4. पूर्णतम मात्रा (Fullest extent) तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं (Abilities) का विकास करे;
5. बालकों के अनुसार तथा बाल-केंद्रित तरीकों से जाँच पड़ताल, खोज एवं गतिविधियों से सीखे (Learning through activities, discovery and exploration in a child friendly and child-centered manner);
6. यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक हो सके बालक की मातृभाषा में हो;
7. बालक को भय, मानसिक क्षति एवं चिंता मुक्त बनाए तथा बालक को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने में सहायता करे (Making the child free from fear, trauma and anxiety, and helping the child to express views freely);
8. बालक के समझने की क्षमता तथा उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का सतत एवं समग्र मूल्यांकन करे (Comprehensive and continuous evaluation of child's understanding of knowledge and his or her ability to apply the same)।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के अनुसार अपेक्षित शिक्षक बनाना शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2009 का भी प्रमुख लक्ष्य था। लेकिन फिर भी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया तथा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर ह्रास होने लगा। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक शिक्षा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की भूमिका का समग्र मूल्यांकन करने के लिए माननीय जस्टिस जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षक शिक्षा के वर्तमान में चलने वाले प्रमुख पाठ्यक्रमों में

पारंपरिक ढंग से ज्ञान का कुछ अंश ही शामिल किया जाता है, इसलिए वह न तो शिक्षा के बड़े लक्ष्यों व विषय को ज्ञान से जोड़ पाते हैं और न ही कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से।

अत: वर्मा आयोग द्वारा दिए गए तमाम सुझावों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा रेग्यूलेशन, 2014 के आधार पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान किया गया है, ताकि संवैधानिक सिद्धांतों एवं शैक्षिक लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास किया जा सके। जिसमें भावी शिक्षकों या विद्यार्थी-शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न उपागमों एवं विधियों का उपयोग या प्रयोग करने में निपुण बनाने अर्थात् रिफ़्लेक्टीव शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी संदर्भ में देश भर के विश्वविद्यालयों, एस.सी.ई.आर.टी., शिक्षा मंडलों या परिषदों एवं शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लागू किया जा रहा है।

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो ताकि वास्तव में रिफ़्लेक्टीव शिक्षक तैयार किए जा सके, इसलिए आर.टी.ई. एक्ट— 2009 की धारा 29 की उपधारा 8 पर लेखक ने मूल्यांकन पर अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से की है। इस कहानी में दो काल्पनिक पात्र हैं — हरिया एवं सुखिया। दोनों की पृष्ठभूमि एक जैसी है अर्थात् दोनों ही मध्यमवर्गीय शिक्षित किसान हैं। दोनों के पास एक जैसी पाँच-पाँच एकड़ सिंचित भूमि है। दोनों ही एकल परिवार से हैं। दोनों ने एक साथ सहकारी बीज भंडार से खरीफ़ की फ़सल की बुआई के लिए दो-दो क्विंटल सोयाबीन खरीदे।

हरिया की कहानी

जब बुआई का समय आया तो हरिया ने सोयाबीन में कीटनाशक दवाई मिलाकर बुआई की ताकि बीजों को कीड़े-मकोड़े न खाएँ। बुआई के पश्चात् नियमित सुबह-शाम अपने खेत में जाता था। जब बीज अंकुरित होने लगे तभी से उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने लगा। जैसे-जैसे बीज अंकुरित होकर पौधे बनने लगे, तो हरिया ने मौसमी मच्छरों, कीटपतंगों आदि से बचाव के लिए कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव करवाया। वह किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन कर कृषि विशेषज्ञों एवं अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर अपनी फ़सल की सुरक्षा हेतु निरंतर सलाह प्राप्त करता था। साथ ही, अपने गाँव के बुज़ुर्ग व्यक्तियों से भी फ़सल के बारे में चर्चा कर उनके अनुभव प्राप्त करता था। इसके अलावा, उसने पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु रासायनिक एवं कार्बनिक खाद दिया तथा समय-समय पर निदाई-गुड़ाई एवं जुताई भी कराई। जब फ़सल पर फूल आने लगे तो ज़मीन को पानी की आवश्यकता पड़ी। हरिया ने अपने ट्यूबवेल पंप की सहायता से पूरे खेत में पानी दिया। इस प्रकार उसने सोयाबीन के बीज बोने से लेकर पौधे पर फूल आने तथा फल लगने तक नियमित अवलोकन किया तथा आवश्यकता अनुसार समय पर उपचार भी किया। अंत में उसने फ़सल की कटाई की तो उसे प्रति एकड़ 10 क्विंटल उपज प्राप्त हुई।

सुखिया की कहानी

जब बुआई का समय आया तो सुखिया ने सहकारी बीज भंडार से जैसे बीज खरीद कर लाया था, वैसे ही खेत में बुआई करवा दी। उसके पश्चात् वह

कभी-कभी जब मन होता, तब खेत में जाता था। खेत में वह जाता और देखकर कहता अभी तो बहुत समय है, धीरे-धीरे फ़सल बड़ी हो रही है। इस तरह वह अपनी फ़सल पर कभी ध्यान नहीं देता था। जब खेत में फ़सल सूखने लगी तो उसने ट्यूबवेल पंप से अपने खेत में पानी छोड़ दिया। इस प्रकार, खेत में कहीं-कहीं ज़मीन सूखी भी रह गई। जब फ़सल पर (पौधे पर) फल लगने लगे तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया और परिणामस्वरूप बीज बारीक (पतले) हो गए। जब अंत में उसने फ़सल की कटाई की तो उसे प्रति एकड़ पाँच क्विंटल ही उपज प्राप्त हुई।

हरिया व सुखिया की कहानी सुनने के पश्चात् आपके दिमाग में कई प्रश्न आ रहे होंगे। अब हम इसे हमारी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि हरिया एवं सुखिया द्वारा किए गए समस्त कार्य कहीं न कहीं रचनात्मक (Formative) एवं योगात्मक (Summative) आकलन को दर्शाते हैं। परंतु ज़रा सोचिए कि हरिया व सुखिया की रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन की प्रक्रिया में किसकी प्रक्रिया बेहतर है और क्यों?

इस प्रकार, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों को भी सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना होगा। तभी हम विद्यार्थी-शिक्षकों को मूल्यांकन की इस प्रक्रिया के बारे में सीखा सकेंगे।

क्योंकि शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका विद्यालयी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे— शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विधियों एवं विद्यालयी शिक्षा की सामग्रियाँ आदि। साथ ही, शैक्षिक घटकों को व्यावहारिक या प्रायोगिक क्रिया में ढालने की भूमिका भी शिक्षक की ही होती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005 के अनुसार, एक शिक्षक-प्रशिक्षक/शिक्षक/विद्यार्थी-शिक्षक से यह अपेक्षा होती है कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति बने। इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों/शिक्षकों/विद्यार्थी-शिक्षकों को ऐसी तैयारी की ज़रूरत है कि वे —

1. बच्चों का खयाल कर सकें और उनके साथ रहना पसंद करें;
2. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में बच्चों को समझ सकें;
3. ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हों;
4. अधिगम को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा ज्ञान निर्माण को मननशील (रिफ़्लेक्टीव) अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें;
5. ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर, उसको शिक्षण-अधिगम एवं व्यक्तिगत अनुभवों के साझा संदर्भों में निर्माण के रूप में देखें;
6. समाज के प्रति अपना दायित्व समझें और, बेहतर विश्व के लिए काम करें;
7. उत्पादक कार्य के महत्व को समझें तथा कक्षा के अंदर और बाहर व्यावहारिक अनुभव देने के लिए कार्यानुभव को शिक्षण का माध्यम बनाएँ; तथा
8. पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत-निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करें।

जहाँ तक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन करने के प्रयासों की बात है अर्थात्

विद्यार्थी-शिक्षकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा प्रदान करने की, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के मानकों एवं मानदंडों के आधार पर हमारे शिक्षण शिक्षा संस्थानों में सभी भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों सहित कुशल प्रशासक तथा पेशेवर एवं योग्य शिक्षक-प्रशिक्षकों का होना आवश्यक है।

लेकिन यहाँ पर केवल शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन को ध्यान में रखकर चर्चा की गई है। क्योंकि कोई भी मूल्यांकन की योजना तभी सफल हो सकती है, जब उसके क्रियान्वयन में शिक्षक-प्रशिक्षकों की पर्याप्त तैयारी हो, ताकि वे इस तैयारी से योजना की वास्तविकता को समझ सकें तथा उसके क्रियात्मक क्रियान्वयन के लिए समग्र प्रक्रिया की रूपरेखा बना सकें। क्योंकि मूल्यांकन सरकारी तंत्र, शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशासकों एवं शिक्षक शिक्षा संस्थान की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा रेग्यूलेशन, 2014 के आधार पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के सभी विषयों एवं उनसे जुड़ी समस्त गतिविधियों के आंतरिक आकलन एवं बाह्य मूल्यांकन का निर्णय लेना, संबंधित विश्वविद्यालय, शिक्षा मंडल या परिषद् पर निर्भर करता है। फिर भी, सभी विषयों के आंतरिक आकलन का भार 20 से 30 प्रतिशत तथा बाह्य मूल्यांकन का भार 70 से 80 प्रतिशत रखा जा सकता है।

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों में उच्च स्तर के चिंतन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण शिक्षा संस्थानों के शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों को पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों एवं गतिविधियों के बारे में चरणबद्ध तरीके से शिक्षित-प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए, विद्यार्थी-शिक्षकों के आकलन के कई कारण हैं, पहला, यह जानना आवश्यक है कि क्या विद्यार्थी-शिक्षक जो सीखना चाहते हैं, वे सीख पा रहे हैं या नहीं? दूसरा, यह जानना कि किसी निश्चित अवधि में विद्यार्थी-शिक्षकों ने कितना सीखा? तथा तीसरा, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं सभी के लिए सबसे प्रमुख ध्यान आकर्षित करने वाली बात है कि विद्यार्थी-शिक्षकों ने विभिन्न विषयों में क्या उपलिब्ध प्राप्त की? हम नीचे दिए गए प्रमुख बिंदुओं, जैसे— मूल्यांकन की समग्रता, मूल्यांकन के पैमाने तथा मूल्यांकन के लिए उपकरणों/टेस्टों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे एवं समझेंगे।

मूल्यांकन की समग्रता

शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— 2009 में कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों में वस्तुनिष्ठ अर्थात् बिना पक्षपात के आकलन करने की समझ विकसित करने की आवश्यकता है। जो समग्र हो, जिसमें शिक्षक शिक्षा पर सभी संकल्पनाओं; शिक्षणशास्त्रीय तत्वों, जैसे— अभिवृत्ति, स्वभाव, आदतें तथा विद्यार्थी-शिक्षकों में ज्ञान के विकास के गुणात्मक एवं मात्रात्मक पक्षों की क्षमता शामिल हो। इसके अलावा विद्यार्थी-शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ जुड़ना व उन्हें समझना, विद्यालयी पाठ्यचर्या व पाठ्यपुस्तकों, ज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया, मनोविज्ञान एवं पेशागत

विकास, संस्थागत व्यवस्थाओं, नीतियों के संदर्भ तथा शिक्षणशास्त्र की समझ भी हो।

आकलन की प्रक्रिया में बच्चों तथा किशोरों एवं किशोरियों का विकास; शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, विद्यार्थियों की सोचने की प्रकृति, जैसे— गणितीय, भाषाई, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाएँ, दर्शनशास्त्रीय तथा समाजशास्त्री रूपरेखाएँ, विद्यालय एक व्यवस्था के रूप में तथा बदलते परिदृश्य में शिक्षकों के कार्य, समूह बनाने का पेशागत कौशल तथा टीम वर्क भी होना चाहिए।

मूल्यांकन के पैमाने

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा अधिगम को नीचे दिए गए मूल्यांकन के आधारों/पैमानों एवं उपकरणों/टेस्ट के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों के निष्पादन का सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है तथा उनकी उपलिब्ध/निष्पादन को ग्रेड या अंकों में दिखाया जा सकता है।

1. **विशिष्ट परिस्थितियों की विशेष अवधि में विद्यार्थी-शिक्षकों का अवलोकन** — विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा अवलोकन पर दिया गया समय, विधि का प्रयोग, विस्तृत लेख, रिकॉर्डिंग फ़ॉर्मेट, प्रदत्तों की कोडिंग, रिपोर्ट, विश्लेषण एवं निहितार्थ आदि।
2. **किसी विशेष कार्य के संबंध में विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ों का अवलोकन एवं रिपोर्ट लिखना** — फ़ील्ड नोट, गुणात्मक प्रदत्तों का वर्गीकरण करने के तरीके आदि।
3. **विद्यालय संपर्क के दौरान किए गए प्रेक्टिकल को विद्यार्थियों से जोड़ना तथा उन्हें बताना** — इस कार्य में विद्यार्थी-शिक्षकों की तैयारी, गतिविधियों का चयन, सामग्रियाँ, कक्षा-कक्ष में विकसित सामग्री का स्थान, विद्यार्थियों के साथ अंतर्क्रिया, विद्यार्थियों के सीखने के संदर्भ में रिफ़्लेक्शन, अभिव्यक्ति एवं भाव, सृजनात्मकता, अनुशासन, विभिन्न संदर्भों का प्रभाव आदि।
4. **विद्यालय संपर्क हेतु योजना** — विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा थीम का चयन, गतिविधियाँ, सामग्रियाँ, समय, सामग्री का संगठन, संप्रेषण कौशल, अंतर्क्रिया, समय प्रबंधन, विद्यार्थियों को अधिगम से जोड़ने की क्षमता, जैसे — व्याख्यान के साथ चर्चा सत्र, सामाजिक-व्यक्तिगत अनुभव साझा करना, रोल प्ले, समूह चर्चा, कहानी/घटना सुनाना, जाँच-पड़ताल, विशिष्ट अध्ययन तथा प्रस्तुतीकरण, दस्तावेज़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, सेमीनार, केस-अध्ययन, विषय-वस्तु एवं समुदाय-आधारित प्रयोग, समूह कार्य, प्रदर्शनी, फ़ील्ड पर दौरा आदि सम्मिलित हैं।
5. **विद्यालय संपर्क के पश्चात् चर्चाएँ, रिपोर्ट लिखना एवं समूह में प्रस्तुतीकरण**— विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा की गई चर्चा की गुणवत्ता, अंतर्दृष्टि, विश्लेषण, रिफ़्लेक्शन आदि।
6. **विद्यार्थी-शिक्षकों का मनोवैज्ञानिक एवं पेशागत विकास**— विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा स्वयं के विकास पर कोर्स एवं प्रयोग, आई.सी.टी. का ज्ञान एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग करने की क्षमता, प्रश्न करने की क्षमता, स्वयं की धारणाओं, सोच, मतों एवं विचारों, स्वयं के प्रति अंतर्दृष्टि

विकसित करना आदि के आधार पर व्यक्तिगत विकास का आकलन करना।

शिक्षक-प्रशिक्षकों को भी स्वयं के मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों के बारे में जानना, विचारों को क्रिया में लाने की क्षमता, आत्मविश्वास का विकास, सद्भावना एवं ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता, किसी भी कार्य की शुरुआत करने की क्षमता, सकारात्मक अभिवृत्ति तथा नकारात्मक अभिवृत्ति पर रिफ़्लेक्शन का विकास आदि। आकलन के इन आधारों को विद्यार्थी-शिक्षक स्वयं भी अपने विकास हेतु उपयोग कर सकते हैं।

7. **प्रदर्शन कौशलों का आकलन** — विद्यार्थी-शिक्षकों की कार्यशालाओं में सहभागिता की प्रकृति एवं नियमितता, थीम-आधारित बुलेटिन बोर्ड एवं कहानी बनाने का कौशल, विभिन्न प्रकार की कहानियों का संग्रहण तथा उनका कक्षा एवं कक्षा के बाहर प्रयोग, बच्चों के साहित्य का मूल्यांकन करने की क्षमता तथा बच्चों को कहानी सुनाने का कौशल, इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला तथा दृश्य-श्रृव्य उपकरणों के रख-रखाव का कौशल; आई.सी.टी. आधारित अंतर्क्रियात्मक शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण, पुस्तकालय का प्रयोग— फ़ील्ड विज़िट, समूह चर्चाओं तथा सेमीनार एवं प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना आदि।
8. **विद्यार्थी-शिक्षक, पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रीय मुद्दों की समझ** — विद्यार्थी-शिक्षकों की कक्षा-कक्ष शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन, नवाचार केंद्रों का भ्रमण, पाठ्यचर्यात्मक सामग्रियाँ, दस्तावेज़ों एवं विषय-वस्तु का विश्लेषण, रिकॉर्डों का अवलोकन, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रिपोर्ट, रिफ़्लेक्शन, सामग्री निर्माण आदि।
9. **एक शोधक के रूप में** — विद्यार्थी-शिक्षकों के रिकॉर्ड का अवलोकन, उनका विश्लेषण एवं वास्तविक निहितार्थ के बारे में सीखने का अवसर देना। इस प्रकार, उन्हें कुछ कक्षा-कक्ष आधारित शोध परियोजनाएँ करने के लिए देना, जिससे उनमें शोधक के रूप में विभिन्न कौशलों का विकास हो। इस तरह अपने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के दौरान विद्यार्थी-शिक्षक विभिन्न प्रकार के शोधकार्य, जैसे— विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों तथा वैकल्पिक सामग्रियों का अवलोकन, विद्यार्थियों की त्रुटियों का विश्लेषण एवं उनके सीखने के तरीकों तथा विधियों का अवलोकन आदि कर एक सफल शोधक बन सकते हैं।
10. **इंटर्नशीप के दौरान विद्यार्थी-शिक्षक का आकलन**—विद्यार्थी-शिक्षकों की कक्षा-कक्ष प्रक्रिया का अवलोकन एवं रिफ़्लेक्शन, नियमित शिक्षण, शिक्षण-अधिगम संसाधनों का विकास, युनिट/पाठ योजना एवं नियमित दैनंदनी या रिफ़्लेक्टीव लेखों का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों का मूल्यांकन या आकलन उनके सीखने के आकलन की रूपरेखा पर आधारित प्रश्नों के प्रकार एवं प्रश्नों की रचना आदि।
11. **रिफ़्लेक्टीव लेख (डायरी)** — विद्यार्थी-शिक्षक अपनी इंटर्नशीप के दौरान कक्षा-कक्ष व विद्यालय के अनुभवों को रिफ़्लेक्टीव डायरी के रूप में लिखें, जो उन्हें अपने अनुभवों को समझने या अवलोकन करने में मदद करेंगे। डायरी में यह लिखना कि कैसे कक्षा संचालित की, कक्षा

के लिए स्वयं की तैयारी के विश्लेषणात्मक रिफ़्लेक्टीव कथन, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर, विद्यार्थियों को उनके अनुभवों पर कक्षा में चर्चा करने का अवसर देने की क्षमता, विद्यार्थियों की गलत या त्रुटिपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर शिक्षक (स्वयं) का व्यवहार एवं भाषा का प्रयोग, नए विचारों एवं संकल्पनाओं को समझने में आने वाली कठिनाइयों एवं विषय संबंधी समस्याओं, समूह, एकल या पूरी कक्षा को गतिविधियाँ करवाने का प्रबंधन एवं संगठन आदि। रिफ़्लेक्टीव डायरी के आकलन का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी-शिक्षक यह देखे कि स्वयं के कक्षा-कक्ष शिक्षण में कैसे धीरे-धीरे सुधार या प्रगति हो रही है। रिफ़्लेक्टीव डायरी के अलावा विद्यार्थी-शिक्षक अपने साथी विद्यार्थी-शिक्षक की मदद से मोबाइल फ़ोन में अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का वीडियो बनाकर स्वयं के निष्पादन का अवलोकन कर सकता है। अत: शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों की रिफ़्लेक्टीव डायरी आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती है।

मूल्यांकन के लिए उपकरण/टेस्ट

शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा मूल्यांकन के पैमानों के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षकों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकृति के अधिगम का आकलन करने के लिए उपयुक्त उपकरण/टेस्ट का प्रयोग (प्रशासन) करना आवश्यक है। जिसमें शामिल है — अवलोकन अनुसूची तथा रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, पोर्टफ़ोलियों आकलन, केस-अध्ययन, कार्यशालाओं में सहभागिता, सेमिनार में प्रस्तुतीकरण, परिचर्चाओं में सहभागिता, विद्यार्थी-शिक्षक अपने विचार लिख सकें, ऐसी खुली प्रश्नावली एवं साक्षात्कार, मौखिक तथा लिखित परीक्षा एवं सत्र/गृह कार्य, विकसित सामग्री, जैसे — चार्ट, मॉडल, आई.सी.टी. आधारित अंतर्क्रियात्मक सामग्री, उपकरण आदि, रिफ़्लेक्टीव लेख (डायरी) प्रयोग/गतिविधि आधारित-रिकॉर्ड, स्व-निर्मित प्रारूप या प्रोफ़ाइल इत्यादि।

उपसंहार

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) रेग्यूलेशन, 2014 के आधार पर शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की शुरुआत कर दी है। अब इन सुधारों को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी एवं जबाबदेही राज्य सरकारों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों, एस.सी.ई.आर.टी., शिक्षा मंडलों या परिषदों एवं शिक्षक शिक्षा संस्थानों की है। जिसमें राज्य सरकारों द्वारा, एस.सी.ई.आर.टी., विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा मंडलों या परिषदों द्वारा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन, 2014 तथा राज्यों की अपनी पृष्ठभूमि व आवश्यकता के अनुसार विकसित कर इन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षक शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जबाबदेही सुनिश्चित करने तथा शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाने का एक प्रभावी उपकरण है। अब विशेषकर समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्रशासकों/प्रबंधकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा सरकारी व्यवस्था की प्रमुख ज़िम्मेदारी है कि वे योग्य, कुशल एवं मानवीय शिक्षक तैयार करें, जो देश के भविष्य (विद्यार्थियों) के निर्माण में योगदान देकर सामाजिक परिवर्तन लाएँ।

संदर्भ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.
(http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/ncf_hindi_2005/ncf2005.pdf)

भारत सरकार. *भारत का राजपत्र — नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009*. संख्या-39. अगस्त 27. 2009. नयी दिल्ली.
(http://eoc.du.ac.in/RTE%20-%20notified.pdf)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2015. *सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सी.सी.ई.) — उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिमान सामग्री*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.
(http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/pdf/CCE_Exm_Hindi.pdf)

NCTE Regulations. 2014. (http://www.ncte-india.org/ncte_new/regulation2014/english)

एन.सी.टी.ई. 2009. *नेशनल करिकुलम फ़ॉर टीचर एजुकेशन प्रीपरेशन प्रोफ़ेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स*. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नयी दिल्ली.
(http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/NCFTE_2010.pdf)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. *विज़िन ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया — क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव — रिपोर्ट ऑफ़ द इंडिया*. वाल्यूम 1. डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर एजुकेशन. नयी दिल्ली.
(http://www.teindia.nic.in/Files/TE-India-Report/JVC-Vol-1.pdf)

पाटीदार, जितेन्द्र कुमार. 2015. 'मैं हूँ शिक्षक शिक्षा'. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष-35. अंक-3. जनवरी 2015. पेज नं. 10–17.
(http://www.ncert.nic.in/publication/journals/pdf_files/adhunik_shiksha/BASjan2015.pdf)

पाटीदार, जितेन्द्र कुमार. 2015. 'भावी शिक्षक एवं रिफ़्लेक्शन' (एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन, 2014 के आलोक में). *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष-36. अंक-1. जुलाई 2015. पेज नं. 47–57.
(http://www.ncert.nic.in/publication/journals/pdf_files/adhunik_shiksha/basjuly2015.pdf)

सी.बी.एस.ई. 2010. *मैनुअल फ़ॉर टीचर्स ऑन स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लासेज़ VI-VIII*. सी.बी.एस.ई., दिल्ली.
(http://cbseacademic.in/web_material/cceresources/2_CCE_Manual_Class_VI_VII_2010.pdf)